संख्या-17/2015/क0नि0-4-529/11-15-400(94)/2000

प्रेषक,

गीता मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 2015

विषयः- पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को आगामी एक वर्ष हेतु लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः बजट-33-जो0जी0व्या0दु0बी0यो0 (2014-15)/2212/वाणिज्य कर, दिनांक 16 जनवरी, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग के पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के मानक मद संख्या-07-अन्य व्यय में शासनादेश संख्याः क0नि0-4-465/11-14- 300(32)/2013, दिनांक 07-04-2014 एवं शासनादेश संख्याः क0नि0-4-860/11-14-300(32)/2013, दिनांक 23-07-2014 के द्वारा रू0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़) धनराशि आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है। उक्त योजना को दिनांक 31-03-2015 से दिनांक 30-03-2016 तक की अवधि में लागू रखने हेतु रू0 1,89,89,999.00 (रूपये एक करोड़ नवासी लाख नवासी हजार नौ सौ निन्यानबे मात्र) दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लि0 मण्डलीय कार्यालय-2, छठा तल, जीवन भवन, हजरतगंज, नवल किशोर रोड, लखनऊ को प्रीमियम के भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल, उ0प्र0 एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-आयोजनेत्तर- 800-अन्य व्यय- 07-उ0प्र0 पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना- 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः बी-1-2457 /दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
गीता मिश्रा
विशेष सचिव।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17/2015/क0नि0-4-529(1)/11-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
7- गार्ड बुक/बजट सहायक।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।